रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159 ] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 1998/श्रावण 2, 1920
No. 159 ] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 1998/SHRAVANA 2, 1920

## वस्त्र मंत्रालय

## संकल्प

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1998

**सं. 8/7/98-टी.पी.सी.**—सरकार ने श्री एस. आर. सत्यम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा वस्त्र नीति की पुनरीक्षा, तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करेगी तथा समग्र उद्योग नीति में सुधार लाने के फलस्वरूप हो रहे परिवर्तनों की ओर ध्यान देते हुए उद्योग के लिए नीतिगत उपाय सुझाएगी। समिति का गठन निम्नानुसार होगा:—

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री एस. आर. सत्यम,<br>सेवानिवृत्त सचिव,<br>वस्त्र मंत्रालय | — अध्यक्ष |
| 2. | अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक<br>विकास बैंक, मुंबई | — सदस्य |
| 3. | डा. टी. वी. रत्नाम<br>सलाहकार, सितरा, कोयम्बटूर | — सदस्य |
| 4. | श्री ए. एन. जरीवाला | — सदस्य |
| 5. | श्री संजय एस. लालभाई,<br>मै. अरविंद मिल्स लिमिटेड<br>नरोदा रोड, अहमदाबाद | — सदस्य |
| 6. | डा० ओमकार गोस्वामी,<br>संपादक,<br>बिजनेस इंडिया, मुंबई | — सदस्य |
| 7. | डा० राकेश मोहन,<br>महानिदेशक, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त<br>आर्थिक अनुसंधान परिषद्<br>नई दिल्ली | — सदस्य |
| 8. | विकास आयुक्त (हथकरघा) | — सदस्य |
| 9. | श्री बी.डी. जैत्रा<br>सलाहकार, योजना आयोग | — सदस्य |
| 10. | डा० अशोक लाहिड़ी, निदेशक,<br>राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान,<br>नई दिल्ली | — सदस्य |
| 11. | श्री अजय पिरामल, पिरामल मिल्स<br>लिमिटेड, मुंबई | — सदस्य |
| 12. | वस्त्र आयुक्त, मुंबई | — सदस्य-सचिव |

11. **विचारार्थ विषय**

1. मौजूदा वस्त्र नीति की पुनरीक्षा करना तथा उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना और विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की नई आवश्यकताओं के अनुरूप जरूरी परिवर्तनों को अभिज्ञात करना।

2. वस्त्र क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्षेत्रों की उपयुक्त पुनरीक्षा करने के बाद वस्त्र उद्योग के प्रत्येक क्षेत्र एवं खण्ड से श्रेष्ठ उत्पादकता प्राप्त करने की दृष्टि से नीति पर नए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना :—

(1) सभी उत्पाद (सभी फाईबर तथा उनसे निर्मित मूल्य-वर्द्धित उत्पाद),

(2) सभी क्रियाकलाप (बुनाई, कताई, प्रसंस्करण, परिष्करण और पैकेजिंग),

(3) सभी क्षेत्र (संगठित मिल, विद्युतकरघा और हथकरघा)।

3. समग्र व्यापार नीति में संशोधन करने और विशेषकर वस्त्रों और क्लोदिंग संबंधी बहुफाईबर करार और उससे संबद्ध गैर-शुल्क प्रतिबंधों के समाप्त होने के फलस्वरूप हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वस्त्र उद्योग के लिए नीतिपरक उपाय सुझाना। ऐसे नीतिपरक उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के उन्नयन के उपाय भी शामिल होंगे :—

(क) ब्राण्ड उत्पादों को स्थापित करने की प्रक्रिया के सरलीकरण सहित उत्पाद।

(ख) प्राद्योगिकी

(ग) वित्त

(घ) ब्राण्ड संवर्धन सहित बाजार विकास ।

(ङ) वस्त्र उद्योग में मानव संसाधन विकास।

4. वस्त्र उद्योग के विभिन्न संघटकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपक्षकारों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मकता की जाँच करना तथा नीति निर्धारण सुझाना ताकि प्रत्येक संघटक की प्रतियोगी क्षमता में सुधार लाया जा सके और वस्त्र उद्योग के प्रत्येक आर्थिक क्षेत्र के मूलभूत ढाँचे को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय सुझाना। इसमें विभिन्न फाइबरों के लिए नियत की जाने वाली विशिष्ट भूमिका का अध्ययन करना भी शामिल होगा।

5. वर्ष 2005 तक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को प्राप्त करने की दृष्टि से वस्त्र उद्योग के पुनर्निर्माण में सहायक नीतिपरक उपाय सुझाना।

6. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीतियों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग के संदर्भ में वित्तीय और व्यापार नीतियों सहित मौजूदा औद्योगिक नीति की जाँच करना तथा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए आवश्यक परिवर्तन सुझाना।

7. वस्त्र क्षेत्र के नियंत्रण एवं विनियमन की मौजूदा व्यवस्था की जाँच करना तथा वस्त्र उद्योग के सभी क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, परिवर्तन सुझाना।

8. उत्पादन प्रौद्योगिकियों, डिजाईनों, विपणन कौशन और आसूचना प्रौद्योगिकी सहित वस्त्र क्षेत्र के सभी क्रियाकलापों में मानव संसाधनों का विकास करने के लिए व्यापक नीति और रणनीति बनाना। इसमें वस्त्र उद्योग में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में आवश्यक नीतिपरक उपायों की मौजुदा परिदृश्य की जाँच करना भी शामिल होगा।

9. वस्त्र उद्योग में रुग्णता से निपटने के लिए अभी तक किए गए उपायों की पुनरीक्षा करना तथा वस्त्र उद्योग की आर्थिक क्षमता में सुधार लाने के साथ-साथ श्रमिकों और पूँजी का पुनः उपयोग करने से अवस्थापनात्मक संयोजन की आवश्यकता सहित उद्योग में रूग्णता को रोकने और उससे निपटने के लिए आवश्यक उपायों को अभिज्ञात करना।

10. वस्त्र उद्योग की आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करने के लिए समर्पित वित्त पोषण व्यवस्थाओं की वांछनीयता की जाँच करना।

iii. समिति, यदि आवश्यक हो तो, उपर्युक्त विचारार्थ विषयों से संबंधित किसी अन्य पहलु पर भी विचार कर सकती है।

iv. समिति, यदि आवश्यक हो तो, अपने कार्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए परामर्शकर्ता को नियुक्त करने सहित कार्यचालन की अपनी निजी प्रक्रिया बना सकेगी।

v. सरकारी अधिकारियों के संबंध में यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ते के खर्च, यदि कोई हो, तो उसका वहन संबंधित विभाग द्वारा किया जाएगा। जबकि, गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के का०ज्ञा० सं० एफ० 6 (26)-ई- IV/59 में समय-समय पर यथासंशोधित अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे।

vi. समिति अपनी रिपोर्ट छह माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

vii. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन वह भारत के किसी भी स्थान में बैठक कर सकती है।

viii. वस्त्र आयुक्त द्वारा सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान की जाएगी।

एन० रामाकृष्णन, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

## RESOLUTION

New Delhi, the 24th July, 1998

**No. 8/7/98-TPC.**—Government have decided to set up an Expert Committee under the Chairmanship of Shri S.R. Sathyam to inter-alia review and evaluate the impact of the existing textile poticy and suggest policy measures for the industry to focus on changes resulting from overall trade policy reforms. The constitution of the Committee shall be as follows:—

1. Shri S.R. Sathyam, Retired Secretary Ministry of Textiles —Chariman
2. Chariman, Industrial Development Bank of India, Mumbai. —Member
3. Dr. T.V. Ratnam, Adviser, SITRA, Coimbatore, —Member
4. Shri A. N. Jariwala —Member
5. Shri Sanjay S. Lalbhai, M/s. Arvind Mills Ltd., Naroda Road, Ahmedabad. —Member
6. Dr. Omkar Goswami, Editor, Business India, Mumbai. —Member
7. Dr. Rakesh Mohan, Director General National Council of Applied Economic Research, New Delhi —Member
8. Development Commissioner (Handlooms) —Member
9. Shri B.D. Jethra, Adviser, Planning Commission —Member
10. Dr. Ashok Lahiri, Director, National Institute of Public Finance & Policy, New Delhi —Member

11. Shri Ajay Piramal, Piramal Mills Ltd., Mumbai —Member

12. Textile Commissioner, Mumbai —Member-Secy.

**II. Terms of Reference**

1. To review and evaluate the impact of the existing Textile Policy and identify the changes that are necessary, particularly in terms of the new imperatives of international competition.

2. To evolve a new set of policy guidelines with a view to obtaining the best productivity from each sector and from each segment of the textile industry after taking a holistic view of the textile sector covering:—

(i) All products (all fibres and value-added products resulting therefrom);

(ii) All activities (spinning, weaving, processing, finishing and packaging);

(iii) All sectors (organised mills, powerlooms and handlooms).

3. To suggest policy measures for the textile industry to focus on the changes resulting from overall trade policy reform and specifically the dismantling of the Multi-Fibre Agreement on Textiles and Clothings (MFA) and the associated non-tariff barriers. Such policy measures would, interalia, include measures for upgradation of :

(a) Products including facilitation for establishment branded products.

(b) Technology.

(c) Financial arrangements.

(d) Market development including brand promotion.

(e) Human resource development in the textile industry.

4. To examine the competitiveness of the various segments of the industry with respect to their international counter-parts and to suggest policy prescriptions to improve the competitive edge of each segment and to suggest measures for strengthening the fundamentals of each of the economic spheres of the textile industry. This would include a study of the specific role to be assigned for different fibres.

5. To suggest policy measures to aid the restructruring of the textile industry with a view to attaining international competitiveness by the year 2005.

6. To examine the existing industrial policy including foreign direct investment policies, as well as fiscal and trade policies with reference to the textile industry and suggest necessary changes for modernisation and growth in the industry.

7. To review the existing system of control and regulation in the textile sector and suggest changes, wherever necessary, for promoting productivity and encouraging growth in all the sectors of the textile industry.

8. To evolve a comprehensive policy and strategy for developing human resources in all activities in the textile sector including production technologies, designs, marketing skills and information technology. This should also include an examination of the present scenario of the policy measures required in the area for the attainment of international competitiveness in the textile industry.

9. To review the measures taken so far for tackling sickness in the textile industry and to make suggestions for improving the economic viability of the textile industry as also to identify steps which would be necessary to prevent and tackle sickness in the industry, including the need for structural adjustments through redeployment of labour and capital.

10. To examine the desirability of establishing dedicated financing arrangements to cater specifically to the needs of the textile industry.

III. The committee may, if necessary, consider any other aspects related to the above terms of reference.

IV. The committee will formulate its own procedure of working including engagement of consultants, if considered necessary, for any specific area of its work.

V. The expenses on TA & DA, if any, will be borne by the respective department in respect of Government officials, whereas non-officials will be entitled to claim TA & DA as per OM No. F. 6(26)-E-IV/59 dated September 5, 1960 of the Ministry of Finance (Department of Expenditure), as amended from time to time.

VI. The Committee will submit its report within a period of six months.

VII. The headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may meet at any other place in India.

VIII. Secretariat assistance will be provided by the Textile Commissioner.

N. RAMAKRISHNANJ Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.